**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.08.2026**

# थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 04 मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 09.08.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर अभियुक्त गौरव त्यागी पुत्र सतीश त्यागी निवासी आश्रम रोड त्यागी मार्केट ठेके के सामने थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी के 04 मोटर साइकिल बरामद की गयी । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

## पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त गौरव त्यागी पुत्र सतीश त्यागी उपरोक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मैं दिल्ली / एनसीआर क्षेत्र से मोटर साइकिल चोरी करता हूं तथा उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करता हूं । आज मैं चोरी की मोटर साइकिल बेचने की फिराक में कस्टूमर तलाश कर रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया ।

## नाम पता अभियुक्त

गौरव त्यागी पुत्र सतीश त्यागी निवासी आश्रम रोड त्यागी मार्केट ठेके के सामने थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष ।

## बरामदगी का विवरणः-

1. मो0सा0 रजि0 नं0- DL5SBQ0607 चैसिस नम्बर MBLHAR085JHC58000 इंजन नं0- HA10AGJHC51047 स्पलैण्डर प्लस सम्बन्धित एफआईआर नंबर 014289/26 थाना शाहदरा ई-पुलिस स्टेशन जिला शाहदरा डिस्ट्रीक्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली
2. मोटरसाईकिल रजि0नं0- UP14DR2968 चैसिस नं0- ME4JC65BEJ7046803 इंजन नं0- JC65E72138050 सम्बन्धित मु0अ0सं0-199/26 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
3. मोटरसाईकिल रजि0नं0- UP14DV9073 चैसिस नं0- MD625HF10J1LB1291 इंजन नं0- KF1LJ17B5580 TVS RADEON सम्बन्धित मु0अ0सं0- 197/26 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
4. रजि0नं0- UP14CJ6927 चैसिस नं0- MBLHA10BFEHJ35370 इंजन नं0- HA10EREHJ75940 मेकर HERO MOTOCORP LTD मॉडल SPLENDOR PRO सम्बन्धित मु0अ0सं0- 405/26 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद ।

## अभियुक्त का अपराध इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 – 227/2026 धारा 317(2)/317(5)345(3) बीएनएस थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0- 197/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0- 199/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0- 342/2022 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0- 405/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।
6. मु0अ0सं0- 1754/2021 धारा 379/411/414/413 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
7. मु0अ0सं0- 1750/2021 धारा 379/411/414/413 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
8. मु0अ0सं0- 1723/2021 धारा 379/411/414/413 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
9. मु0अ0सं0- 1716/2021 धारा 379/411/414/413 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
10. मु0अ0सं0- 1709/2021 धारा 379/411/414/413 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
11. मु0अ0सं0- 1160/2022 धारा 411/414/413 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
12. मु0अ0सं0- 342/2022 धारा 379 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
13. मु0अ0सं0- 1090/2022 धारा 379 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

14. मु0अ0सं0- 1020/2022 धारा 379 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
15. मु0अ0सं0- 508/2022 धारा 379 भादवि थाना सिहानीगेट गाजियाबाद।
16. मु0अ0सं0- 484/2022 धारा 379 भादवि थाना सिहानीगेट गाजियाबाद।
17. मु0अ0सं0- 1150/2022 धारा 379 भादवि थाना कंकड़खेड़ा जनपद मेरठ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

## थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 09.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि पुस्ता चौक पर ठेके के सामने से वादी की मोटर साइकिल चोरी हो जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी के वाहन की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त शिवम उर्फ कसीनो को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की गई 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी है । उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**पूछताछ का विवरण–** अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं पहले भी वाहन चोरी के मामले में जेल जा चुका हूँ। मैं वाहन चोरी करने के लिये घूम-फिर कर रैकी करता हूँ तथा मौका पाकर मोटरसाइकिल की चोरी कर लेता हूँ। चोरी की मोटरसाइकिल को जंगल व घनी झाड़ियां में छिपा देता हूँ और वाहन को दिल्ली कबाडी बाजार में बेच देता हूँ तथा जो पैसे मिलते है उससे अपने शौक पूरे करता हूँ। मुझसे जो मोटरसाइकिल बरामद हुयी हैं वह मैंने ट्रोनिका सिटी में शराब के ठेके के सामने से चोरी की है। मैं इस मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

शिवम उर्फ कसीनो पुत्र विशेष कुमार निवासी धर्मपाल मार्केट निशान्त कॉलोनी ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष ।

**बरामदगी का विवरण -**

कब्जे से चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त थाना ट्रोनिका सिटी से हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी की घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत तथा थाना ट्रोनिका सिटी पर हत्या का 01 अभियोग, चोरी का 01 अभियोग, स्नैचिंग का 01 अभियोग, पुलिस मुठभेड़ के संबंध में 01 अभियोग, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने का 01 अभियोग एवं थाना लिंक रोड पर स्नैचिंग का 01 अभियोग, थाना लोनी पर चोरी का 01 अभियोग **(कुल 08 अभियोग)** पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम ।

## कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा ।

अपराधियों के विरुद्ध मा0न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित **'कन्विक्शन सेल'** के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह मलिक थाना टीला मोड द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री सतीश शर्मा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना टीला मोड, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा-363/366/376 भादवि व 4 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त अर्जुन पुत्र सुभाष सिंह निवासी फारुखनगर थाना टीला मोड कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-02 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 10.08.2026 को धारा- 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम में 10 वर्ष का सश्रम का कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

अभियुक्त द्वारा वादी की बहन को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला/ बलात्कार करने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 05.09.2021 को थाना टीला मोड पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **श्री सतीश शर्मा**<br>विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) | **म0मु0आ0 रेनू**<br>पैरोकार कन्विक्शन सेल | **मु0आ0 विपिन कुमार**<br>पैरोकार थाना टीला मोड |

## थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

दिनांक 09.08.2026 की रात्रि को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त अजीम उर्फ अज्जू को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह पिस्टल मैंने करीब 01 वर्ष पूर्व अल्वी नगर में रहने वाले हिस्ट्रीशीटर शादान पुत्र भूरे से खरीदी थी। यह पिस्टल मैंने लोगों में अपना रौब जमाने तथा डराने धमकाने के लिए अपने पास रखी हुई थी। मैं इस पिस्टल को लेकर बाहर निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

अजीम उर्फ अज्जू पुत्र बसारत अली निवासी विजयनगर नसबंदी कॉलोनी थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण -**

कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

## थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.08.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी कि बहन को उसके पति व ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग करना व मांग पूरी न करने पर प्रताडित करते हुए मारपीट करना व जहर पिला देना जिससे गम्भीर हालत में अस्पताल में भर्ती करना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 85/123 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.08.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अबरार पुत्र इकबाल को थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी पत्नी के परिवार वालों ने तय हुए दहेज से कम दहेज दिया था, मैं और मेरे परिवार वाले तय हुये दहेज की माँग करते थे। इसी बात को लेकर मेरा मेरी पत्नी से झगडा हो गया था, नाराज होकर मैंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और गुस्से में जहर पिला दिया था, जिससे उसकी गम्भीर हालत हो गयी फिर हमने गम्भीर हालत में उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

अबरार पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला हकीमपुरा कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना मुरादनगर पुलिस टीम